संख्याः 97 /XXVIII(1)/2018-11(सामान्य)/2017

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 12 जनवरी, 2018**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक में राजस्व पक्ष** (राजकीय मेडिकल कॉलेज दून/हल्द्वानी/हे0न0ब0 टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर) **के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1362/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित बजट में संलग्न के कॉलम–घ में अंकित आवंटित धनराशि **कुल ₹ 30,22,73,000.00 (रू0 तीस करोड बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)** व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. वचनबद्ध मदों की धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

ii. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

iii. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं/अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में व्यय शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जाय।

iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही

D:\AK\Draft\Misllaneous.doc 3.doc

पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

v. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय। निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाय।

vi. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

3– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–158(म0) /XXVII(3)/2018,दिनांक–08.02.2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : उक्तवत

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

सं0– 97 /XXVIII(1)/2018-11(सामान्य)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, दून/हल्द्वानी/श्रीनगर।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, दून/हल्द्वानी/श्रीनगर।
7. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

D:\AK\Draft\Misllaneous.doc 3.doc

संख्याः 97 /XXVIII(1)/2018-11(सामान्य)/2017 दिनांक 12 फरवरी, 2016 का संलग्नक तालिका

(धनराशि रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक			आयोजनागत
क	ख	ग	घ
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	प्राविधानित धनराशि	आवंटित धनराशि
05	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105	पाश्चात्य शिक्षा पद्धति		
04	मेडिकल कॉलेज		
0402–हे0न0ब0 बेस ऐलोपैथिक चिकित्सालय (टीचिंग हॉस्पिटल)			
10	जल कर /जलप्रभार	2200	2200
41	भोजन व्यय	7457	7457
	योग–0402	**9657**	**9657**
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	प्राविधानित धनराशि	आवंटित धनराशि
05	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105	पश्चात्य शिक्षा पद्धति		
04	मेडिकल कॉलेज		
0407	**राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना**		
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	35000	35000
21	छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	20000	20000
29	अनुरक्षण	2000	2000
31	सामग्री एवं सम्पूर्ति	10000	10000
41	भोजन व्यय	1000	1000
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	400	400
	योग–0407	**68400**	**68400**
लेखाशीर्षक		आयोजनागत	
क	ख	ग	घ
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	प्राविधानित धनराशि	आवंटित धनराशि
05	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105	पाश्चात्य शिक्षा पद्धति		
04	मेडिकल कॉलेज		
0406	**दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना**		
09	विद्युत देय	4918	4918
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	398	398
13	टेलीफोन पर व्यय	200	200
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	200	200
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	140000	140000
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण संयंत्र	50000	50000
29	अनुरक्षण	1000	1000
31	सामग्री एवं सम्पूर्ति	5000	5000
39	औषधि तथा रसायन	10000	10000
41	भोजन व्यय	11500	11500
42	अन्य व्यय	1000	1000
	योग–0406	**224216**	**224216**

कुल रू0 302273000.00 (रू0 तीस करोड बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

D:\AK\Draft\Mislaneous.doc 3.doc